न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
8/11/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण पैरवी में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मु० नं० 168/15 दावा अनुक्रम में समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रफा दफा की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.23 11:22:50 IST
Reason: SelfAttested